

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक - प.1(11)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक 22-10-19

-:अधिसूचना:-

इस विभाग की संमसख्यक अधिसूचना दिनांक 15.10.2019 को अधिक्रमित करते हुए, राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 सपठित धारा 12 एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार एतदद्वारा कॉलम संख्या-2 में उल्लेखित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को कॉलम संख्या-3 में उल्लेखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में क्रमोन्नत करते हुए पीठासीन अधिकारी के पदस्थापन की तिथि से स्थापित करती है:-

क्र.स	न्यायालय का पूर्व नाम	क्रमोन्नत न्यायालय का नाम	जिले का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4	5
1.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, इंगला	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंगला	चित्तोड़गढ़	इंगला

राज्यपाल के आदेश से

22-10-19


(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

8. जिला कलक्टर/ जिला एवं सेशन न्यायाधीश/ पुलिस अधीक्षक चित्तोड़गढ़।
9. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली ।


(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव